मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी , RAS

प्रकरण सं. 12/2017 वाद

GCMS NO.- 2017/00026

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री शम्भुलाल पिता हीरा उर्फ हीरालाल जाति भील, निवासी झोपडिया (डलां उर्फ किशनपुरा) तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

–वादी

//बनाम//

1. श्री पेमा पिता हीरा उर्फ हीरालाल जाति भील, निवासी डलां उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा।
2. श्री दल्लीचन्द पिता ऊकार जाति भील निवासी डलां उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. श्री शिवलाल पिता ऊकार जाति भील निवासी डलां उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा
4. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88,53,188 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादी की और से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ की उपस्थिति में दिनांक 02.12.2019 को जारी प्राथमिक डिक्री में विवादित भूमि मौजा चरलिया ब्राह्मण की खाता संख्या 120 की आराजी नं. 46 रकबा 1.8700 हैक्टैयर भूमि में वादी शम्भुलाल का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 पेमा का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दल्लीचन्द व शिवलाल का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीदार निम्बाहेड़ा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये थे कि उपर्युक्तानुसार विवादित भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य किया जाकर फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/टीआरए/207 दिनांक 21.10.2020 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:29:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा चरलिया ब्राह्मणान का बंटवारा [illegible] किया जाता है:-

1- श्री शम्भुलाल पिता हीरालाल भील सा. झोपड़िया खातेदार के रहेगी

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रुपये में
46 में से पूर्व	0.60	3.00

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

कुल किता 1 कुल रकबा 0.60 हैक्टैयर कुल लगान 3.00 रूपये

2– श्री दल्लीचन्द शिवलाल पिता उंकार भील सा. डला खातेदार के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
46 में से पश्चिम	0.60	3.00

कुल किता 1 कुल रकबा 0.60 हैक्टैयर कुल लगान 3.00 रूपये

3.– श्री पेमा पिता हीरालाल भील सा. डला खातेदार के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
46 में से मध्य	0.60	3.00

कुल किता 1 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर कुल लगान 3.00 रूपये

4.– श्री शम्भुलाल पेमा पिता हीरालाल भील 2/3 दल्लीचन्द शिवलाल पिता ऊंकार भील 1/3 सा. डला–

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
46 में से दक्षिण में रास्ते हेतु	0.07	0.35

कुल किता 1 कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल लगान 0.35 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 21.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:29:1
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner